न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री योगेश डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 01 / 154

तारीख दायरा : 07.10.2014

निर्णय दिनांक - 19.7.2021

उनवान

1. मोहनलाल यादव पुत्र श्री लीलाराम यादव
2. गोपाल लाल यादव पुत्र श्री लीलाराम यादव।
3. दिनेश कुमार यादव पुत्र श्री लीलाराम यादव।
4. श्रीमति महादेवी यादव पत्नि स्व0 श्री मोतीलाल यादव।
5. महावीर प्रसाद यादव पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल यादव।
6. अजय यादव पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल यादव।
7. श्रीमति सुमन यादव पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल यादव।
8. श्रीमति रीना यादव पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल यादव समस्त निवासीयान् राजाजी का बास, न्यू प्लॉट्स, अलवर (राज0)

..................प्रार्थीगण।

बनाम

1. विकास गुप्ता पुत्र श्री डा. के.पी. गुप्ता निवासी शान्ति निकेतन रघुमार्ग, अलवर।
2. श्रीमति सरोज डाटा पत्नी स्व0 श्री डा. के.पी. गुप्ता निवासी शान्ति निकेतन रघुमार्ग अलवर।
3. नूर मोहम्मद पुत्र श्री पृथ्वी।
4. श्रीमति सुमेरबी पत्नि मुन्सरफ।
5. महमूदीन पुत्र मुन्सरफ।
6. हाकमदीन पुत्र मुन्सरफ।
7. साहबदीन पुत्र मुन्सरफ।
8. नबावदीन पुत्र मुन्सरफ।
9. हमशीर पुत्री मुन्सरफ।
10. साबूदीन पत्र फौजी।
11. रमजान पुत्र फौजी।
12. सुब्बी पुत्र फौजी।
13. हाजरा पत्नि फौजी।
14. गफूर पुत्र श्योसिंह।
15. शकूर पुत्र श्योसिंह ।
16. लाला पुत्र श्योसिंह।
17. बडी लाली पुत्री श्योसिंह।
18. छोटी लाली पुत्री श्योसिंह।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

19. रज्जाक पुत्र मलल्ड मेव निवासीयान् ग्राम भाखेड़ा तहसील व जिला अलवर।
20. करणसिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह जात छीपी निवासी रामानन्द नगर जिला अलवर।
21. अली हुसैन पुत्र शोकीन खॉ जाति मेव निवासी ग्राम भाखेड़ा तहसील व जिला अलवर।
22. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अलवर।

..........अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट.)

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय ::   दिनांक: 13.7.2021

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख.न. 128 रकबा 3 ऐयर, 129 रकबा 12 ऐयर, 135 रकबा 5 ऐयर, 136 रकबा 33 ऐयर, 137 रकबा 1 ऐयर, 138 रकबा 1 ऐयर, 143 रकबा 6 ऐयर, 144 रकबा 13 ऐयर, 145 रकबा 18 ऐयर , 146 रकबा 8 ऐयर, 150/951 रकबा 6 ऐयर कुल किता 11 रकबा 1.06 हैक्टेयर वाके ग्राम भाखेडा में स्थित है तथा पारिवारिक बटंवारे के अनुसार उक्त आराजी पर काबित काश्त कर रहे है।

आराजी ख.न. 117 रकबा 2 ऐयर, 118 रकबा 2 ऐयर , 139 रकबा 38 ऐयर, 141 रकबा 20 ऐयर कुल किता–4 रकबा 62 ऐयर वाके ग्राम भाखेडा के डा. के.पी. गुप्ता खातेदार काश्तकार है जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा उनका विरासत इतंकाल दर्ज नहीं है और उनका पुत्र विकास गुप्ता उक्त आराजी में पक्की दीवार करने की फिराक में है। आराजी ख.न. 140 रकबा 21 ऐयर के पृथ्वी , श्योसिंह सह खातेदार है जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान अप्रार्थीगण है। अप्रार्थी स. 3 ला.12 व 18,19,20 भी खसरा नम्बर 140 के सह खातेदार है।

उपरोक्त आराजी पर हम प्रार्थीगण वर्ष 1967–68 से काबिज है जिसके साबिक ख.न. 94 व 95 से हाल खसरा नम्बर 117 रकबा 2 ऐयर, 118 रकबा 2 ऐयर, 139 रकबा 38 ऐयर, 140 रकबा 21 ऐयर वाके ग्राम भाखेडा बने है जिसमें से हम प्रार्थीगण अपनी आराजी को आते जाते है एवं इस आराजी में बने रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थी सख्या 01 बदयान्ती पूर्वक आराजी ख.न. 117,118 के पूर्व से पश्चिम तथा खसरा नम्बर 139 की पूर्व दिशा (उत्तर दक्षिण) की ओर पक्की दीवार का निर्माण कराने की कोशिश में है तथा भाखेडा बन्द के पानी को रोककर स्थाई रूप से बन्द करने पर अमादा है।

प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर कर्षि कार्य हेतु आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता साबिक ख.न. 94 व 95 हाल खसरा नम्बर 117,118, 139,140 में बने रास्ते का उपयोग [illegible] करते चले आ रहे है जो लघुतम रास्ता है। इस रास्ते के अलावा [illegible] प्रार्थी[illegible] के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजी ख.न.128,129,135, 136, 137,138,143,144,145,146,150/951 में आने-जाने के लिए हाल खसरा नम्बर 117,118,139,140 में पूर्व से विद्यमान रास्ते को 6 मीटर चौड़ा कर कच्चा मार्ग (रास्ता) दिलाया जावे तथा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 01 ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि आराजी ख.न.117,118,139,141 ग्राम भाखेडा के खातेदार डा० के.पी. गुप्ता थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 इनके वारिसान हैं। उक्त आराजी पर पूर्व से ही करीब 7 फुट ऊँची दिवार मौजूद है जिसे प्रार्थीगण जबरन बिना किसी कानूनी अधिकार के तोड़ने की जुस्तजू में है। आराजी ख.न. 140 खाली प्लाट है जिस पर चारो ओर पक्की चार दिवार हो रही है जिसमें से आने-जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। यह गलत है कि प्रार्थीगण अपनी आराजी के लिए अप्रार्थीगण के की उक्त आराजी में आते जाते हो। अपितु अप्रार्थीगण की आराजी के पश्चित में प्रार्थीगण की आराजी है तथा दोनों आराजीयात के मध्य में प्रार्थी स्वंय द्वारा मेड बना रखी है। अप्रार्थी सख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 141 के तरफ दक्षिण में मुख्य सडक से एक पक्का रास्ता ग्राम भाखेडा में जाता है जो करीब 40 फुट चौड़ा रास्ता है तथा प्रार्थीगण की आराजी के साथ लगता हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण अन्य वैकल्पिक रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा एब्स्लयूट नेसेसिटी साबित करना आवश्यक है। प्रार्थी आर.टी.एक्ट. की धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण को जर्ये स्थाई निषेघाज्ञा पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख.न. 117,118,139,141 में अप्रार्थीगण के कब्जे में कोई रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें तथा कोई नवीन रास्ता कायम ना करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार (भू0अ0) अलवर से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी ख.न. 128,129,135,136,139 मोहनलाल यादव पुत्र लीलाराम 1/4 हि. दर्ज है । खसरा नम्बर 143,144,145,146,150 दिनेश कुमार पुत्र लीलाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख.न. 117,118,139,141 विमल गुप्ता पुत्र के.पी.गुप्ता, सरोज गुप्ता पत्नि के.पी.गुप्ता के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा नम्बरा 140 अब्दुल रहीम पुत्र रूजदार खातेदार के नाम दर्ज है। आराजी ख.न. 117,118,139,140 पर पक्की दीवार हो रही है मौके पर फसल बोई हुई है। खसरा नम्बर 128,129,135,136,137,138,143,144,145,146,150 पर जाने हेतु कब्रिस्तान के पास गांव भाखेडा वाला रास्ता है जिसमें वर्तमान में आवागमन हो रहा है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट [illegible] द्वारा यह आपत्ति उठाई गई तहसीलदार द्वारा मौके का प्र[illegible] किया है जो नक्शा गलत व सहूलियत के खिलाफ है। [illegible] नहीं बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

इसलिए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे। इसके साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र पेष कर यह भी प्रार्थीगण के पश्चिम व दक्षिण में कब्रिस्तान होने व उत्तर में किसी रास्ते की उपयुक्तता नहीं होने व अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के पूर्व में स्थित अप्रार्थीगण की कर्षि भूमि में होकर एक एक्सल्यूड नेसेसिटी के आधार पर धारा 251–ए के प्रावधानों के अन्तर्गत कम से कम 6 मीटर चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर विवादित आराजी के रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार अलवर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ऑनलाईन ख.न. 128 रकबा 0.03 ऐयर, 129 रकबा 0.12 ऐयर, 135 रकबा 0.05 ऐयर, 136 रकबा 0.05 ऐयर, 136 रकबा 0.33 ऐयर, 137 रकबा 0.01 ऐयर, 138 रकबा 0.01 ऐयर किता 6 रकबा 0.55 है0 महावीर प्रसाद हि0 1/16, अजय यादव 1/16 हि0, पिता मोतीलाल, मोहनलाल 1/4 हि., गोपालराम 1/4हि0, दिनेष कुमार 1/4 हि., पिता लीलाराम, सुमन हि.1/16, रीना 1/16 हि., पिता मोतीलाल जाति अहीर की खातेदारी में दर्ज है जो मौके पर पारिवार बंटवारे के अनुसार उक्त भूमि पर काश्त करते है तथा ख.न. 143 रकबा 0.06 ऐयर, 144 रकबा 0.13 ऐयर ,145 रकबा 0.18 ऐयर,146 रकबा 0.08 ऐयर, 150/951 रकबा 0.06 ऐयर किता 5 रकबा 0.51 में दिनेश कुमार पुत्र लीलाराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर खातेदार दर्ज है जो मौके पर कब्जा काश्त है।

आराजी ख.न. 117 रकबा 0.02 ऐयर, 118 रकबा 0.02 ऐयर, 139 रकबा 0.33 ऐयर, 141 रकबा 0.20 ऐयर विकास गुप्ता पुत्र के.पी.गुप्ता 1/2 हि. सरोज गुप्ता पत्नि के.पी.गुप्ता 1/2 हि. जाति महाजन के नाम दर्ज है। आराजी ख.न. 140 रकबा 0.21 अब्दुल रहीम वगैरा सह खातेदार दर्ज है। आराजी ख.न. 117,118,139,140 में मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है। आराजी ख.न. 142 रकबा 0.52 गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज है जिसमें मौके पर दीवार हो चुकी है प्रार्थी की आराजी के लिए कोई रास्ता नहीं है। आस–पाससे प्रार्थी को कोई पहुंच मार्ग नहीं है।

प्रार्थी आराजी ख.न. 141 में से हाइवे से रास्ता चाहता है। जो नियमानुसार दिया जा सकता है। जो 6 मी. चौड़ाई का (32x6= 192 वर्गमीटर + 18x6 = 108 वर्गमीटर =300 वर्गमीटर या कुल 0.03 है0) जो संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार दर्शित है। आराजी ख.न. 141 में गेहूँ व प्याज का कण लगा हुआ है तर्फ दक्षिण के हिस्से में जोत लगी है। मौके पर रास्ता हेतु अलग से नजरी नक्शा बनाया गया है।

अप्रार्थी विकास गुप्ता द्वारा तहसीलदार अलवर की उपरोक्त मौका रिपोर्ट पर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि मौका पर्चा दिनांक 05.03.2021 व नजरी नक्शा बनाने से पूर्व अप्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया और न कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है। 2016 सप्लीमेन्टरी आर.आर.टी. पेज 597 में महावीर प्रसाद बनाम [illegible] व अन्य प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह निर्णय [illegible] गया है कि पक्षकारों की मौजूदगी में रास्ते की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वयं एस.डी.ओ. को मौका निरीक्षण करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

प्रार्थीगण ने आराजी ख.न.117,118,139,140 में पूर्व से विद्यमान रास्ते को छः मीटर चौड़ा कर कच्चा मार्ग चाहा गया है परन्तु तहसीलदार अलवर द्वारा रिपोर्ट में ख.न. 117,118,139,140 में मौके पर कोई रास्ता नहीं होना दर्शाया गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ जो नक्शा बनाया गया है वह अपूर्ण तथा अस्पष्ट है। खसरा नम्बर 141 के चारो ओर करीब 7 फुट ऊँची पक्की दीवार मौके पर मौजूद है जिसमें से रास्ता दिया जाना नियमानुसार संभव नही है। जहां पक्षकारों की आपसी सहमति नहीं बनती है तो स्वंय उपखण्ड अधिकारी जैसे उच्च अधिकारी को मौका देखकर निर्णय पारित करना चाहिए। इसलिए उपरोक्त रिपोर्ट अनियमित होने के कारण न्यायालय श्रीमान स्वंय मौका देखकर प्रकरण का विधिक रूप से निस्तारण करें।

अप्रार्थीगण की आपत्ति पर प्रार्थीगण की ओर से यह जवाब प्रस्तुत किया गया कि भू. अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा मौका जॉच में उन्हे दूरभाष पर सूचना देकर बुलाया गया था। जब प्रार्थना पत्र वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया गया था उस समय अप्रार्थी सख्या 1 विकास गुप्ता ख.न. 117,118 के पूर्व से पश्चिम व ख.न. 139 के पूर्व की डोल में उत्तर दक्षिण को पक्की दीवार के निर्माण की कोशिश में है जिससे चालू रास्ता बंन्द हो जायेगा। अर्थात जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तब जिस 7 फुट उॅची दीवार का अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है तब निर्माण ही नहीं हुआ था। न्यायालय में प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुये पक्की चार दिवारी का निर्माण करवाया गया जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। खसरा नम्बर 141 के दक्षिण पूर्व कोने में 7 फुट उॅची दिवार ही नहीं है और जो दिवार है वह मुख्य सडक से 7 फुट उॅची नहीं है। खसरा नम्बर 141 के दक्षिण में भाखेडा गांव तक 40 फुट चौड़ा रास्ता है तथा दक्षिण में ही कब्रिस्तान है जिसके 6 फुट उॅचीं दिवार बनी हुई है। उसके बाद दक्षिण में सड़क है। इसी प्रकार प्रार्थीयान खसरा नम्बर 143 के दक्षिण में कब्रिस्तान का खसरा नम्बर 142 है तथा ख.न.142 के दक्षिण में कब्रिस्तान की 6 फुट उंची दिवार है व उसके बाद दक्षिण में भाखेडा गांव की सडक है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कथन कि भाखेडा गांव की सडक से खसरा नम्बर 141 अप्रार्थी का खेत सडक से जुडा हुआ है तथा प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 143 सडक से जुडा हुआ है भ्रामक व गलत है। तहसीलदार के पत्र के साथ गिरदावरी पटवारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि के लिए कोई रास्ता नहीं है। यदि अप्रार्थी मौके पर रास्ता बतलायेगें तो प्रार्थीगण को वह रास्ता स्वीकार है।

प्रार्थी ने अपनी आपत्ति में यह भी उल्लेख किया है कि आराजी ख.न. 117, 118 में विकास गुप्ता ने नगर विकास न्यास में भूमि रूपान्तरण के लिए आवेदन किया है तथा आराजी खसरा नम्बर 140 के खातेदारों के मध्य बंटवारे का विवाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें यथास्थिति के आदेश है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी ख.न. 128,129,[illegible]144,145,146,150/951 में आने-जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। [illegible] अप्रार्थीगण की आराजी हाल खसरा नम्बर 117,118,139,140 में पूर्व से विद्यमान [illegible] को 6 मीटर चौड़ा कर कच्चा मार्ग (रास्ता) चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण ने [illegible] आराजी में चारदिवारी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

निर्माण कर दिया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह कहा है कि भाखेड़ा गांव को जाने वाला रास्ता 40 फुट चौड़ा रास्ता है। परन्तु अप्रार्थी ने सही तथ्यों को जाहिर नहीं किया है। ग्राम भाखेड़ा का रास्ता कब्रिस्तान में से है जिसमें चारदिवारी हो रही है। चार दिवारी को तोड़कर कब्रिस्तान में से रास्ता नहीं दिया जा सकता।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह भी तर्क है कि आराजी ख.न.117, 118 के क्रम में अप्रार्थी विकास गुप्ता द्वारा नगर विकास न्यास में भूमि रूपान्तरण की फाईल लगाई हुई है तथा ख.न.140 के खातेदारों के मध्य बंटवारे का विवाद विचाराधीन है। आराजी ख.न. 142 कब्रिस्तान में चारदिवारी हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास ख.न. 141 में से रास्ता चाहने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग विद्यमान नहीं है। तहसीलदार अलवर द्वारा भी पुनः अपनी मौका रिपोर्ट में आराजी ख.न. 141 में से नियमानुसार रास्ता दिये जाने का अकंन किया है। अप्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट पर जो आपत्तियॉं उठाई गई है वह स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि तत्समय वर्ष 2014 में मौके की स्थिति व वर्तमान में मौके की विद्यमान स्थिति में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण के आवेदन पर तहसीलदार अलवर से पुनः मौका रिपोर्ट चाही गई है।

योग्य अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण की आराजी के लिए अन्य कोई पहुचं मार्ग नहीं है तथा रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 141 में से मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 में प्रस्तावित अनुसार रास्ता कायम किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण ने मूल प्रार्थना पत्र में आराजी ख.न. 117,118,139,140 में से रास्ता चाहा गया था जिसमें कोई रास्ता चालू नहीं है। जबकि तहसीलदार अलवर की मौका रिपोर्ट के अनुसार ख.न. 141 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। जबकि आराजी ख.न. 142 मे से ग्राम भाखेड़ा को आम रास्ता जाता है जो प्रार्थीगण की आराजी के लगता हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि मौका रिपोर्ट बनाते समय अप्रार्थीगण को नहीं बुलाया गया ना ही कोई नोटिस दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा 141 में से रास्ता चाहने का प्रार्थना पत्र ही पेश नहीं किया है फिर भी ख.न.141 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो गलत है। अप्रार्थीगण की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि स्वंय न्यायालय श्रीमान् मौका निरीक्षण कर लेवें। उनका यह भी तर्क है कि अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 141 के चारो ओर करीब 7 फुट उॅंचीं पक्की दीवार मौके पर मौजूद है जिसमें से रास्ता दिया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में 2017 (2) आर.आर.टी. 789 [illegible] महावीर प्रसाद व अन्य बनाम रोडू बनाम लाडू व अन्य, 2016–17 आर.आर.[illegible] सिंह व अन्य बनाम कश्मीर मोहनलाल व अन्य एवं आर.आर.टी. [illegible] सिंह व अन्य के न्यायिक विनिश्चय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक. दृष्टान्तो का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आराजी ख.नं. 117,118,139,140 में से रास्ता चाहा गया था। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजी के स्थान पर मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 में प्रस्तावित आराजी ख.न. 141 में से रास्ते दिये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी ख.न.117,118,139,14 पर डा.के.पी. गुप्ता पुत्र आर.एल. गुप्ता साकिन शान्ति निकेतन रघु मार्ग अलवर खातेदार दर्ज है। आराजी ख.न.130,131,140 पर पृथ्वी हि.1/9,सुमेरबी पत्नि स्व0 मुन्सरफ, महमूदीन, हाकमदीन, साहबदीन, नवावदीन, पि0 मुन्सरफ, हमशीरा पुत्री मुन्सरफ सममाग 1/9 हि. साबूदीन, रमजान, सुब्बी पि. फौजी हाजरा पित्न स्व. फौज सममाग 1/9 हि. श्योसिंह रज्जाक 2/9 हि. करणसिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह जाति छीपी निवासी रामानन्द नगर लालडिग्गी अलवर हि. 2/9 अलीहुसैन पुत्र शौकीना खान 2/9 हि. खातेदार का अंकन दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी स.2069–72 के अनुसार आराजी ख.न. 128, 129,135,136,137,138 पर मोहनलाल, मोतीलाल गोपालराम, दिनेश कुमार पि.लीलाराम कोम अहीर साकिन राजाजी का बास अलवर खातेदार दर्ज है। आराजी ख.न. 143,144,145,146,150/951 पर दिनेश कमार पुत्र लीलाराम अहीर साकिन राजाजी का बास अलवर खातेदार दर्ज है।

इस प्रकार उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी ख.न.128,129, 135,136,137,138 प्रार्थीगण की आराजी है तथा आराजी ख.न.117,118,139,14 आराजी ख.न.143,144,145,146,150/951उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है।

आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 251(क) में एक खातेदार अभिधारी को अपनी कृषि जोत में आने–जाने के लिए अधिकतम 30 फुट का मार्ग उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रावधान के अनुसार प्रस्तावित मार्ग लघुतम एवं निकटतम होना चाहिए तथा मार्ग की आत्यन्तिक आवश्यकता होनी चाहिए।

इस मामले में दो मौका रिर्पोट पत्रावली में उपलब्ध है। प्रथम मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने हेतु कब्रिस्तान के पास गांव भाखेडा वाला रास्ता है जिसमें आवागमन हो रहा है। आराजी ख.न. 117,118,139,140 जो अप्रार्थीगण की भूमि है पर पक्की दीवार हो रही है। प्रार्थीगण का कथन है कि जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तत्समय अप्रार्थीगण की उक्त आराजी में चारदिवारी नहीं थी। प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान् चारदिवारी बनाई गई है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के इस कथन का कोई खण्डन नहीं किया है और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थना पत्र संस्थित किये जाने के समय या उससे पूर्व ही अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी [illegible] का निर्माण किया हुआ था। चूंकि प्रार्थीगण की ओर से अप्रा[illegible] में से रास्ते दिये जाने का अनुतोष दिये जाने बाबत अप[illegible] न्यायालय में प्रस्तुत की है इसलिए अप्रार्थीगण के उपरोक्त कथन का अब व[illegible]मान परिस्थितियों में कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

चूंकि यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2014 में संस्थित किया गया था तथा तत्समय ही मौका रिपोर्ट तलब की गई थी। परन्तु प्रार्थीगण के कथनानुसार आराजी ख.न. 117,118,139 में चारदिवारी नहीं होने एवं अप्रार्थीगण के कथनानुसार इस आराजी में चार दिवारी होने का कथन किये जाने के उपरान्त वर्तमान में मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी किये जाने के प्रयोजनार्थ प्रार्थीगण के आवेदन पर प्रकरण में पुनः तहसीलदार अलवर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

अप्रार्थीगण का यह तर्क कि न्यायालय स्वंय मौका मुआयना करें स्वीकार योग्य कथन नहीं है। क्योंकि हस्तगत प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है तथा राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शा एवं दोनों पक्षों के कथन/प्रतिकथनों से मौके की वास्तविक स्थिति के बारे में न्यायालय का समुचित समाधान हो गया है। इसलिए न्यायालय स्वंय के द्वारा मौका मुआयना किये जाने का कोई सारभूत कारण मौजूद नहीं है।

वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी की उपरोक्त आराजी पर कोई रास्ता चालू नहीं है। **प्रार्थीगण की आराजी के पास स्थित आराजी ख.न. 142 रकबा 0.52 गैर मुमकिन कब्रिस्तान है जिसमें मौके पर दीवार हो चुकी है। प्रार्थी की आराजी के लिए कोई रास्ता नहीं है। आस–पास से प्रार्थी को कोई पहुंच मार्ग नहीं है।** प्रार्थी आराजी ख.न. 141 में से हाइवे से रास्ता चाहता है, जो नियमानुसार दिया जा सकता है, जो 6 मी. चौड़ाई का (32x6= 192 वर्गमीटर +18x6 =108 वर्गमीटर=300 वर्गमीटर या कुल 0.03 है0) जो संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार दर्शित है। आराजी ख.न. 141 में गेहूँ व प्याज का कण लगा हुआ है तर्फ दक्षिण के हिस्से में जोत लगी है।

इस प्रकार द्वितीय मौका रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आराजी ख. **न. 141 में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि से निकटतम व लघुतम दूरी का है तथा प्रार्थीगण की आराजी के आस–पास कोई पहुचं मार्ग भी नहीं है। प्रार्थीगण भी आराजी ख.न. 141 में से रास्ता दिये जाने में सहमत है। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार भी ख.न. 141 प्रार्थीगण की आराजी के लगता हुआ है।** यद्यपि अप्रार्थीगण ने इसका प्रतिरोध किया है और यह कथन किया है कि आराजी ख.न. 141 में पक्की दीवार हो रही है परन्तु मौका जॉच रिर्पोट के अनुसार ख.न. 141 में पक्की दीवार होने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किये गये कथनों एवं मौका रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से यह पाया जाता है कि **प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 143 के दक्षिण में कब्रिस्तान का खसरा नम्बर 142 है जिसके दक्षिण में कब्रिस्तान की 6 फुट ऊँची** [illegible] दक्षिण में भाखेडा गांव की सडक है। इस प्रकार मेरे विन[illegible] आराजी ख.न. 142 गैर मुमकिन कब्रिस्तान मे से चारदिवारी तोड़[illegible] विधिसम्मत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

उपरोक्त समग्र विवेचन से प्रकरण के मौजूदा तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपने खसरो तक पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है इसलिए एक खातेदार को अपनी कृषि भूमि में कृषि जोत इत्यादि कार्य करने हेतु मार्ग की आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः अप्रार्थी की आराजी ख.न. 141 में से प्रस्तावित रास्ता 6 मी. चौड़ाई (32x6=192 वर्गमीटर +18x6 =108 वर्गमीटर=300 वर्गमीटर या कुल 0.03 है0) जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया है के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी आराजी ख.न.128,129,135,136,137,138,143, 144,145,146,150/951 में आने–जाने के लिए रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भाखेड़ा में स्थित प्रार्थीगण को अपनी आराजी ख.न.128,129,135, 136,137,138,143,144,145,146,150/951 में आने–जाने के लिए अप्रार्थी की आराजी ख.न. 141 में से प्रस्तावित रास्ता 6 मी. चौड़ाई (32x6=192 वर्गमीटर +18x6 =108 वर्गमीटर=300 वर्गमीटर या कुल 0.03 है0) जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। (नजरी नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा।)

प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी की वर्तमान प्रचलित बाजार दर (डी.एल.सी.) के अनुसार रास्ते की भूमि की कीमत अप्रार्थीगण (खातेदार) को अदा करेंगें। तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है कि रास्ते की भूमि की कीमत उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अदा करने के उपरान्त रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

19.7.2021

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

आज दिनांक 19.7.2021 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.7.2021

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yogesh Kumar Dagur
Date: 2021.08.10 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested